मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2012–2013

संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल
फरवरी 2013

अनुबंध–9

(पैरा 7.17.3)

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2012–2013 (विवेचना अवधि)

मध्यप्रदेश शासन

विभाग	खनिज साधन विभाग
केबिनेट मंत्री	माननीय श्री राजेन्द्र शुक्ल

मंत्रालय

सचिव	श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव
अपर सचिव	श्री राजेन्द्र शर्मा
अवर सचिव	श्रीमती मगदली खलखो
पदेन अवर सचिव	श्री एस.के. शिवानी

विभागाध्यक्ष

संचालक (प्रभारी संचालक)	श्री विनीत आस्टिन

विषय–सूची

भाग–एक

		पृष्ठ क्र.
1.1	विभागीय संरचना, अधीनस्थ कार्यालय,	1
1.2	विभाग का दायित्व एवं विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	1–2
1.3	विभाग से संबंधित सामान्य एवं प्रमुख विशेषताएं	3–4
1.4	महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी	3–4

भाग–दो

2.1	बजट विहंगावलोकन, प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार)	5

भाग–तीन

3.1	(अ)	राज्य योजनायें	6–7
3.2	(ब)	केन्द्र प्रवर्तित योजनायें	7
3.3	(स)	विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनायें	7
3.4	(द)	विदेशी सहायता प्राप्त योजनायें/परियोजनायें	7
3.5	(ई)	अन्य योजनायें	

भाग–चार

4.1	सामान्य प्रशासनिक विषय	8

भाग–पाँच

5.1	अभिनव योजना	9

भाग–छः

6.1	विभाग द्वारा निकाले जाने वाले प्रकाशन	10

भाग–सात

7.1	मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम से संबंधित जानकारी	11–14

भाग–आठ

8.1	सारांश	15

भाग – एक

प्रदेश के औद्योगिक विकास में खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। खनिज उपलब्धता की दृष्टि से मध्यप्रदेश राष्ट्र का चौथा खनिज सम्पन्न राज्य है। विकास की आवश्यकता के अनुरूप खनिजों की मांग औद्योगिक प्रगति के साथ बढ़ती जाती है। खनिज साधन विभाग द्वारा खनिजों के संरक्षण, अन्वेषण एवं विधिमान्य नियमों के अंतर्गत खनिजों के दोहन पर सतत निगरानी रखते हुए निरंतर कार्यवाही की जा रही है। खनिज साधन विभाग के अधीन गठित निगम द्वारा कुछ खनिजों के दोहन का कार्य भी किया जा रहा है। विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही से प्रदेश के राजकोषीय आय में निरंतर वृद्धि तथा नये खनिज भंडारों की खोज का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर 2012 तक रूपये 1721.95 करोड़ खनिज राजस्व राजकीय कोष में संग्रहित हुआ है।

1.1 विभागीय संरचना, अधीनस्थ कार्यालय

खनिज साधन विभाग के अंतर्गत संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश तथा सार्वजनिक उपक्रम के रूप में मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम कार्यरत है।

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म का मुख्यालय भोपाल में स्थापित है। इसके अधीन चार क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर, इन्दौर, रीवा, ग्वालियर तथा एक हीरा कार्यालय पन्ना में स्थापित है। समस्त 50 जिलों में कलेक्टर के निर्देशन में खनि शाखा कार्यरत है। क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में विभागीय रासायनिक प्रयोगशाला कार्यरत है।

मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। इसके अधीनस्थ 13 कार्यालय जबलपुर, कटनी, मण्डला, सागर, टीकमगढ़, होशंगाबाद, हरदा, सतना, धार, झाबुआ, मुरैना, शिवपुरी, डबरा (ग्वालियर) में स्थित है।

1.2 विभाग का दायित्व एवं विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

खनिज साधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के अंतर्गत खनिज अन्वेषण एवं खनिज प्रशासन कार्य हेतु विभाग में स्वीकृत कुल 841 पदों में से दिनांक 01.01.2013 की स्थिति में 570 पद भरे एवं 271 पद रिक्त है। स्वीकृत अमले तथा पदस्थापना का विवरण परिशिष्ट–''क'' में दर्शित है। विभाग द्वारा निम्नानुसार दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है।

1. **खनिज अन्वेषण**
2. **खनिज प्रशासन**

<u>खनिज अन्वेषण</u>

खनिजों की खोज के कार्य में विभागीय तकनीकी अमला यथा उप संचालक (तक.), सहायक भौमिकीविद् एवं अन्य तकनीकी/गैर तकनीकी अमला कार्यरत है। विभागीय अन्वेषण कार्य की रूप रेखा राज्य भू–वैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल द्वारा निर्धारित की जाती है। इस मंडल में राज्य में कार्यरत केन्द्रीय शासन की अन्वेषण एजेन्सियां, जैसे भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरों, कोल इंडिया लिमिटेड, खनिज अन्वेषण निगम तथा अन्य शासकीय विभाग तथा उपक्रम सदस्य होते रहें है। राज्य भू–वैज्ञानिक मण्डल की 46वीं बैठक 08.08.2012 को सचिव खनिज साधन विभाग मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में खनिज क्षेत्र में निवेश कर रही अग्रणी कंपनियों एवं शिक्षाविदों को

भी पहली बार नये सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश के अलावा अन्य केन्द्रीय उपक्रमों के द्वारा वर्ष 2012-13 में किये जाने वाले विभिन्न खनिजों के सर्वेक्षण एव पूर्वेक्षण कार्य से संबंधित क्षेत्रीय कार्यक्रम को समस्त सदस्यों द्वारा एकमत से अनुमोदित किया गया। विभाग द्वारा आंकलित खनिज भण्डारों के प्रतिवेदन निर्धारित शुल्क जमा करने पर जन सामान्य को उपलब्ध कराया जाता है। विभाग द्वारा विगत पांच वर्षो में (2007-08 से 2011-12 तक) किये गये अन्वेषण कार्य एवं उपलब्धियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-''ख''-एक एवं परिशिष्ट-''ख''- दो में दर्शित है।

<u>खनिज प्रशासन</u>

खनिज प्रशासन के अंतर्गत विभाग के विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ अमले द्वारा प्रदेश में स्वीकृत खनि रियायतों का नियमन, नवीन आवेदनों का निराकरण तथा खनिजों के नियमानुसार दोहन पर नियंत्रण किया जाता है।

वर्ष 2011-2012 में खनिजों के अवैध उत्खनन के 879 प्रकरण एवं अवैध परिवहन के 6419 प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर अवैध उत्खनन से 91.66 लाख रू0 तथा अवैध परिवहन से 972.99 लाख रुपए के अर्थदण्ड की वसूली की गई है। वित्तीय वर्ष 2012-2013 में माह नवम्बर 2012 तक खनिजों के अवैध उत्खनन के 468, अवैध परिवहन के 3633 एवं अवैध भंडारण के 235 प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर अवैध उत्खनन से 113.28 लाख रू0, अवैध परिवहन से 649.29 लाख रू0 एवं अवैध भंडारण से 48.46 लाख रू0 अर्थदण्ड की वसूली की गई है।

वर्ष 2012-13 में दिनांक 07.01.2013 से 19.01.2013 तक अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोकथाम हेतु पखवाड़ा आयोजित किया गया। आयोजित पखवाड़े में अवैध उत्खनन 42, अवैध परिवहन के 837 एवं अवैध भण्डारण के 57 प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर अवैध उत्खनन 3.02 लाख रूपये, अवैध परिवहन से 132.59 लाख रूपये तथा अवैध भण्डारण से 6.74 लाख रूपये अर्थदण्ड की वसूली की गई।

खनिज प्रशासन को अधिक सुदृढ़ करने हेतु विभाग में जिला स्तर पर खनिज भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अब तक 27 जिलों में जिला कार्यालय हेतु खनिज भवन का निर्माण पूर्ण होकर कार्यालय संचालित है। 18 जिलों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। 02 जिलों (होशंगाबाद-गुना) में नवीन कलेक्टर कार्यालय में संयुक्त रूप से निर्माण होना है। शेष 03 जिलों में भवन निर्माण हेतु भूमि चयन की प्रक्रिया प्रचलित है।

<u>खनिज सेक्टर में निजी क्षेत्रों की भागीदारी</u> :-

राज्य अपनी खनिज सम्पदा के विकास की दिशा में कार्य करते हुये, खनिजों की खोज हेतु वृहद क्षेत्र में निजी सहभागिता को बढ़ावा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्मित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के प्रावधान अनुसार राज्य के लगभग 92000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हीरा एवं बहुमूल्य खनिजों की खोज हेतु 77 रिकोनेसेन्स परमिट राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रदान किये गये है। वर्ष 2012-2013 में लगभग 1800 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर 05 परमिट स्वीकृत किये गये है। इन कम्पनियों द्वारा प्रदेश में अत्याधुनिक तकनीक से कार्य करते हुये उत्साहवर्धक उपलब्धि हासिल की गई है। मेसर्स रियोटिन्टों को छतरपुर जिले में हीरे के भण्डार मिले है। इसी प्रकार मेसर्स जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्रा.लि. द्वारा प्रदेश में सोना, निकिल कॉपर प्लेटिनम-पैलेडियम की खोज की गई है। इन खोजों से राज्य को खनिज क्षेत्र में नवीन प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है।

कोल बेड मीथेन गैस गैर परम्परागत ऊर्जा का एक नया स्त्रोत है। राज्य में कोल बेड मीथेन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। रिलायंस (अनिल अंबानी ग्रुप), कंसोर्टियम, टाटा पावर एवं, मे0 दीप इंडस्ट्रीज लि. के कंसोर्टियम तथा एस्सार लि0 को भी सी.बी.एम. की खोज हेतु परमिट स्वीकृत किये गये हैं, जिसकी खोज उपरांत प्रदेश, राष्ट्र में सी.बी.एम. उत्पादक राज्य के रूप में नये आयाम हासिल करेगा।

महिला नीति 2009–2013 :–

राज्य की महिला नीति 2009–2013 के अन्तर्गत महिला समूहों को उत्खनिपट्‌टे प्राथमिकता के आधार पर देने के संबंध में महिलाओं की सहकारी समितियों/सहयोजन या किसी महिला को उसी क्रम के अन्य आवेदकों पर अधिमानी अधिकारी दिए गए है।

गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के अंतर्गत महिला/महिला समूहों को अधिमानी अधिकारी के तहत प्राथमिकता के आधार पर उत्खनिपट्‌टे दिये जाने बावत एवं प्रचार–प्रसार बावत समस्त जिला कार्यालयों को पूर्व से निर्देशित किया गया है।

महिला नीति 2009–13 के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर 2012 तक कुल 10 उत्खनिपट्‌टे महिलाओं को स्वीकृत किये गये है। इस नीति के अंतर्गत अभी तक कुल 757 उत्खनिपट्टे महिलाओं को स्वीकृत किये गये हैं।

1.3 **विभाग से संबंधित सामान्य व प्रमुख विशेषतायें :–**

मध्यप्रदेश की विपुल खनिज सम्पदा पर प्रदेश में कई खनिज आधारित उद्योग स्थापित किये गये हैं। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के तहत इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि खनिज आधारित उद्योगों का विकास एवं मूल्य संवर्धन प्रदेश में ही हो। इस नीति के अंतर्गत कटनी जिले में स्टोन पार्क की स्थापना की गई है।

प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की व्यापकरण से राज्य शासन द्वारा निवेशकों के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गये है। निवेशकों द्वारा प्रदेश में सीमेंट, स्टील एवं पावर, फर्टीलाईजर तथा मेंगनीज एवं कॉपर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु प्रस्तावित किये गये है एवं इस हेतु खनि रियायत स्वीकृति बावत भिन्न–भिन्न जिलों में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये है।

प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न कम्पनियों द्वारा खनिज आधारित उद्योगों हेतु किये गये कुल 107 एम.ओ.यू. में प्राप्त 419 आवेदनों में से 100 आवेदन निराकृत हो चुके है तथा शेष 319 प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही प्रचलन में है।

1.4 महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी :–

खनिज सम्पदा की दृष्टि से प्रदेश राष्ट्र के आठ खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। प्रदेश में प्रमुख रूप से 20 प्रकार के खनिजों का उत्पादन वर्तमान में किया जा रहा है। हीरा उत्पादन में प्रदेश को राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त होने के साथ–साथ मैगनीज, पायरोफिलाइट, ताम्र अयस्क, के उत्पादन में भी राष्ट्र मे प्रथम स्थान प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रदेश को डायस्पोर, राकफॉस्फेट, शैल, फायरक्ले के उत्पादन में द्वितीय तथा

चूनापत्थर, ओकर के उत्पादन में तृतीय स्थान प्राप्त है। कोयले के उत्पादन में प्रदेश का स्थान राष्ट्रीय परिदृश्य में चौथा है।

वित्तीय वर्ष 2011–2012 में विभाग के लिये राजस्व आय शीर्ष 0853 के अतंर्गत निर्धारित किये गये संशोधित लक्ष्य 2700.00 करोड़ रूपये के विरूद्ध 3115.93 करोड़ रूपये का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है जो कि लक्ष्य का 115.40 प्रतिशत होता है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में शासन द्वारा 2800.00 करोड़ रूपये का लक्ष्य दिया गया है जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2012 तक 1721.95 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है जो निर्धारित लक्ष्य का 61.49 प्रतिशत होता है। विगत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 2235.47 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। वर्ष 2012–13 में ग्रामीण अवसंरचना से 168.72 करोड़ रूपये प्राप्त हुए है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में इसी अवधि में ग्रामीण अवसंरचना से 1085.01 करोड़ रूपये की आय प्राप्त हुई थी।

राज्य में उत्पादित किये गये प्रमुख खनिजों के विगत तीन वर्षो के उत्पादन एवं राजस्व प्राप्ति के आंकड़ें परिशिष्ट –''ग'' में दर्शित है।

भाग – 2

2.1 बजट विहंगावलोकन, बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार)

खनिज साधन विभाग के अंतर्गत खनिज अन्वेषण व खनिज प्रशासन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिये विभागीय बजट रु. 255414 हजार प्रावधानित किया गया है जिसमें रु. 120000 हजार आयोजना बजट एवं रु. 135414 हजार आयोजनेत्तर बजट आवंटित है।

विभागीय बजट का पिछले तीन वर्षो का योजनावार प्रावधान एवं व्यय तथा चालू वित्तीय वर्ष 2012–2013 हेतु योजनावार बजट प्रावधान निम्नानुसार हैः–

विभागीय बजट की जानकारी

(आंकड़े हजार रुपयों में)

विभागीय बजट अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग शीर्ष 2853	2009–10		2010–11		2011–12		2012–13
	बजट प्रावधान (पुन.)	व्यय	बजट प्रावधान (पुन.)	व्यय	बजट प्रावधान (पुन.)	व्यय	बजट प्रावधान
मांग संख्या 25 (क) आयोजना	80532	67914	115544	91096	107414	83823	119000
अलौह धातुखनन एवं धातुकर्म पर पूंजी परिव्यय शीर्ष 4853 (आयोजना)	500	487	200	189	500	467	1000
योग (आयोजना)	**81032**	**68401**	**115744**	**91285**	**107914**	**84290**	**120000**
मांग संख्या 25 (क) आयोजनेत्तर	74758	60534	88277	82127	116864	96770	135414
योग (आयोजनेत्तर)	**74758**	**60534**	**88277**	**82127**	**116864**	**96770**	**135414**
मांग संख्या 25 महायोग	**155790**	**128935**	**204021**	**173412**	**224778**	**181060**	**255414**
भारित	250	50	300	44	300	27	300

आयोजना

विभागीय बजट अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग शीर्ष 2853	2009–10		2010–11		2011–12		2012–13
	बजट प्रावधान (पुन.)	व्यय	बजट प्रावधान (पुन.)	व्यय	बजट प्रावधान (पुन.)	व्यय	बजट प्रावधान
मांग संख्या–25 बजट एवं व्यय योजनावार (क) उपयोजना मांग संख्या 25							
1. निर्देशन {001}	13559	11670	36274	27175	18493	12736	21727
2. अनुसंधान और विकास {004}	3011	2075	3609	2642	4895	3289	4766
3. सर्वेक्षण तथा मानचित्रण {101}	15828	10370	14945	10344	14977	11997	19187
4. खनिज अन्वेषण {102}	48134	43799	60716	50935	69049	55801	73320
5. अन्य व्यय {800}	0	0	0	0	0	0	0
मांग संख्या–25 अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म पर पूंजीगत व्यय शीर्ष 4853							
1. अन्य व्यय {800}	500	487	200	189	500	467	1000
योग	**81032**	**68401**	**115744**	**91285**	**107914**	**84290**	**120000**

भाग – 3

राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनायें

3.1 (अ) <u>राज्य योजनायें</u> :-

वर्ष 2012-13 में किये गये कार्य का विवरण एवं उपलब्धियाँ (दिसम्बर 2012 तक):-

खनिज, उद्योगों हेतु एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि विभिन्न उद्योगों को अनेक प्रकार के आवश्यक तत्वों को उपलब्ध कराता है। विभाग विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में खनिजों के अन्वेषण का कार्य करता है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में माह दिसम्बर 2012 तक 4447.00 वर्ग कि.मी क्षेत्र का सर्वेक्षण/मानचित्रण, 1971.00 मीटर ड्रिलिंग तथा 2986 मूलकों के रासायनिक विश्लेषण का कार्य किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान माह दिसम्बर 2012 तक किये गये खनिजों के सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण कार्यो का खनिजवार विवरण निम्नानुसार है :-

1. डोलोमाइटः

छतरपुर जिले के बाजना -सडवा क्षेत्र में डोलोमाइट खनिज हेतु माह दिसम्बर 2012 तक 168.00 वर्ग कि.मी. त्वरित सर्वे तथा 79.75 मी. ड्रिलिंग कार्य किया गया है।

2. चूना पत्थरः

सतना जिले की अमरपाटन तहसील के बंदरखां- ताला -गुइंसा क्षेत्रों में चूना पत्थर हेतु पूर्वेक्षण कार्य निरंतर है एवं माह दिसम्बर 2012 तक 50 वर्ग कि. मी. त्वरित सर्वे तथा 183 मी. ड्रिलिंग कार्य किया जा चुका है।

3. कोयलाः

विभाग द्वारा उत्पादन आधारित कोयला अन्वेषण कार्य, कोल इंडिया लिमिटेड, द्वारा पूर्वेक्षण हेतु निर्धारित दर पर, अनूपपुर जिले के गोविन्दा एवं राजनगर क्षेत्र में किया जा रहा है। माह दिसम्बर 2012 तक उपरोक्त क्षेत्रों में क्रमशः 1133.80 मी. तथा 574.45 मी. ड्रिलिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका है। यह कार्य निरंतर है।

4. खनिज तालिका :-

वर्ष 2012-13 में जिले में उपलब्ध खनिज संसाधनों की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रदेश के इंदौर व सागर जिलों में खनिज तालिका तैयार करने का क्षेत्रीय कार्य किया जा रहा है जिसके अंतर्गत माह दिसम्बर 12 तक इंदौर जिले में, 438.00 वर्ग कि. मी., सागर जिले में 803.00 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का द्रुतगामी सर्वेक्षण एवं मानचित्रण किया गया। पन्ना जिले की खनिज तालिका बनाने का कार्य पूर्ण कर लिय गया है । झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले में खनिज तालिका के पुर्नमूल्यांकन संबंधी कार्य के तहत 302 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में द्रुतगति सर्वेक्षण कार्य किया गया एवं सीधी जिले में खनिज तालिका के पुर्नमूल्यांकन संबंधी कार्य के तहत 1220 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में द्रुतगति सर्वेक्षण का कार्य किया गया।

5. **आयरन ओर :-** ग्वालियर जिले में आयरन ओर के सर्वेक्षण एवं डिमार्केशन कार्य के तहत 600 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में द्रुतगति सर्वेक्षण का कार्य किया गया।

6. **बाक्साइट/आयरन ओर**ः- सतना जिले के सेमरिया क्षेत्र में बाक्साइट एवं आयरन ओर के डिमार्केशन हेतु 600 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में द्रुतिगामी सर्वेक्षण किया गया है।

7. इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-2013 के अप्रैल माह में झाबुआ जिले मं 40, मंदसौर जिले में 76 एवं पन्ना जिले में 150 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य किया गया है।

8. क्षेत्रीय कार्य से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करने का कार्यः

सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करने का दायित्व भी दिया गया है।

वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरणः

क्र.	वर्ष	सर्वेक्षण/मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर)		पिटिंग/ट्रेंचिंग (घन मीटर)		ड्रिलिंग (मीटर)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	2011-12	12000	12743	आवश्यतानुसार	24	5000	5026.85
2.	2012-13 (दिस. 12 तक)	12000	4447	आवश्यतानुसार	00	5000	1971.00

वर्ष 2011-12 में 5444 एवं 2012-13 में दिसम्बर 2012 तक 2986 मूलक विश्लेषित किए गए।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में विभाग अनुमानित खनिज भंडारों के भविष्य में दोहन होने पर राज्य शासन को संभावित 2900 करोड़ रूपये का खनिज राजस्व वर्तमान में प्रभावी रायल्टी दरों पर प्राप्त होगा।

3.2 (ब) केन्द्र प्रवर्तित योजनायें :

केन्द्र प्रवर्तित कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है।

3.3 (स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनायें :

विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है।

3.4 (द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनायें/परियोजनायें :

विदेशी सहायता प्राप्त कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है।

3.5 (ई) अन्य योजनायें :

निरंक।

भाग – चार

4.1 सामान्य प्रशासनिक विषय –

<u>पदोन्नतियां :–</u>

राज्य शासन द्वारा जारी, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के तहत वर्ष 2012–13 में कुल 12 पदोन्नतियाँ की गई है।

<u>नियुक्तियां :–</u>

विभाग में वर्ष 2012–13 में द्वितीय श्रेणी के पद पर 02, तृतीय श्रेणी के पद पर 37 एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर 25 नियुक्तियां तथा 2 अनुकम्पा नियुक्तियां की गई है।

<u>स्थानांतरण :–</u>

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2012–13 के लिये स्थानांतरण घोषित नीति अनुसार व जनहित में अधिकारियों के 19 एवं कर्मचारियों के 42 स्थानांतरण किये गये है।

<u>विभागीय जांच :–</u>

विभाग में 16 कर्मचारियों के विरूद्व विभागीय जांच संस्थापित है आगामी कार्यवाही प्रचलित है।

<u>न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति –</u>

वित्तीय वर्ष 2012–13 में कर्मचारियों के मामले से संबंधित 12 प्रकरण माननीय न्यायालयों में प्रस्तुत हुये जिनमें प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सभी प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलित है।

<u>सूचना का अधिकार –</u>

वर्ष 2012–13 में दिसंबर 2012 तक मुख्यालय में 268 आवेदन प्राप्त हुये थे जिन पर नियमानुसार एवं निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही की गई है।

भाग – पांच

5.1 अभिनव योजना :–

वित्तीय वर्ष 2012–13 में विभागीय कार्य समीक्षा हेतु खनिज साधन विभाग के लिये निम्न बिन्दु निर्धारित किये गये हैं।

1. खनिज संसाधनों का चिन्हांकन।
2. खनिज संसाधनों का दोहन।

खनिज संसाधनों का चिन्हांकन

1. वित्तीय वर्ष 2012–13 में खनिज संसाधनों के चिन्हांकन के अंतर्गत प्रदेश के 12000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में द्रुतगति भौमिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से खनिजों की खोज तथा प्रदेश के उन तीन जिलों की खनिज तालिका बनायी जायेगी जो इस कार्य हेतु अभी भी शेष है तथा प्रदेश के कुछ तालिका के पुर्नमूल्यांकन का कार्य किया जावेगा सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप प्रकाश में आये खनिज धारित क्षेत्रों का विस्तृत पूर्वेक्षण कार्य सम्पादित किया जायेगा। पूर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार गढ़ढाकरण तथा 5000 मी. वेधन किया जायेगा। क्षेत्रीय कार्य के दौरान एकत्र नमूनों में 4500 मूलकों का विश्लेषण किया जायेगा।

खनिज संसाधनों का दोहन।

1. खनिज संसाधनों के दोहन की दिशा में खनि रियायतों की अधिकाधिक स्वीकृति एवं नयी खदानों की घोषणा पर जोर दिया जावेगा।

2. वित्तीय वर्ष 2011–2012 में राजस्व आय शीर्ष 0853 के अंतर्गत निर्धारित संशोधित लक्ष्य 2700.00 करोड़ रूपये के विरूद्ध 3115.93 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये 2800.00 करोड़ रूपये का खनिज राजस्व लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2012 तक 1721.95 करोड़ की प्राप्ति हुई है। शतप्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति वित्तीय वर्ष के आगामी माहों में कर ली जावेगी।

3. प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु राज्य शासन व्दारा गठित किये गये छः संभागीय उड़नदस्तों को आवश्यक अमले एवं वाहन सुविधा से सक्षम बनाने की योजना है ताकि खनिज राजस्व की चोरी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर के राजस्व में आशातीत वृद्धि प्राप्त की जा सके। खनिज प्रशासन के अमले का सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रचलित है एवं म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में आवश्यक संशोधन कर अवैध उत्खनन, परिवहन रोकने हेतु अर्थदण्ड की राशि में बढोत्तरी की गई है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में अवैध उत्खनन, परिवहन रोकने हेतु विशेष पखवाड़ा आयोजित किया गया। आगामी माह में भी सतत् निगरानी रखते हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन रोकने की कार्यवाही जारी रहेगी।

4. केन्द्र शासन की नीति एवं दिशा निर्देशों के अंतर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण को रोकने के लिए मध्यप्रदेश खनिज नियम (खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) 2006 लागू किया गया है इन नियमों के अंतर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर ज्यादा कारगर कार्यवाही के प्रयास जारी रखे जावेंगे।

भाग – छः

6.1 (विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन/प्रतिवेदन, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाये)

विभाग द्वारा विभिन्न खनिजों के लिये पूर्व वर्षों में किये गये सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण कार्य के आधार पर कुल 10 प्रतिवेदन तैयार किये गये हैं। इनमें से अनूपपुर जिले में किये गये कोयला पूर्वेक्षण कार्य से संबंधित 03, जबलपुर, पन्ना एवं बुरहानपुर जिलों की खनिज तालिका तथा सागर जिले की खनिज तालिका का अंतरिम प्रतिवेदन, रीवा जिले में सिलिका सेण्ड के चिन्हांकन, देवास जिले में डोलोमाइट के पूर्वेक्षण तथा सतना जिले में चूनापत्थर के पूर्वेक्षण के प्रतिवेदन शामिल है।

भाग–सात

7.1 मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम से संबंधित जानकारी

(1) स्थापना :–

मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत उपक्रम दि एम0पी0 स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि0 की स्थापना वर्ष 1962 में हुई । निगम की मुख्य कार्यकारी अधिशासी परिषद संचालक मंडल है । संचालक मंडल में अधिकतम 12 सदस्य नियुक्त किये जाने का प्रावधान है । प्रमुख कार्यकारी अधिकारी प्रबंध संचालक है ।

(2) संरचना :–

मुख्य कार्यालय में प्रबंध संचालक के अधीन वरिष्ठ अधिकारी कार्यपालक संचालक एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी, महाप्रबंधक (वित्त/लेखा) तथा महाप्रबंधक (संचालन) कार्यरत है । मुख्य कार्मिक अधिकारी के अधीन सहायक महाप्रबंधक (भौमिकी), प्रबंधक (विपणन) एवं जनसंपर्क अधिकारी, महाप्रबंधक (वित्त/लेखा) के अधीन वरिष्ठ लेखापाल, लेखापाल तथा उप कार्यालय में पदस्थ लेखापाल तथा महाप्रबंधक (संचालन) कें अधीन मुख्य कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक (भौ0), सहायक भौमिकीविद् एवं मैकेनिकल इंजीनियर तथा उप कार्यालय में पदस्थ सहा0 महाप्रबंधक (खान), सहा0 महाप्रबंधक (भौमिकी), खान प्रबंधक, प्रभारी अधिकारी/सहायक भौमिकीविद कार्यरत है ।

निगम की अधिकृत पूंजी 500.00 लाख तथा प्रदत्त पूंजी 219.59 लाख है ।

(3) गतिविधियाँ :–

निगम द्वारा मेघनगर रॉक फास्फेट खदान, जिला झाबुआ, हीरापुर रॉक फास्फेट खदान जिला सागर, कारी डायस्पोर/पायरोफिलाइट खदान, जिला–टीकमगढ़ से संबंधित खनिजों के खनन एवं विपणन का कार्य तथा उप–कार्यालय होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, हरदा, ग्वालियर, टीकमगढ़ अर्न्तगत् स्वीकृत रेत खदानों से गौण खनिज रेत के विक्रय का कार्य एवं भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी औपचारिक अनुमति के आधार पर निगम को जिला शिवपुरी वन क्षेत्र अर्न्तगत् 217.063 हे0 क्षेत्र पर खनिज फर्शी पत्थर हेतु पांच उत्खनि पट्टा शासन स्तर से स्वीकृत हुए हैं । इन क्षेत्रों पर निगम को विधिवत् पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं अन्य विधिवत् अनुमतियां भी प्राप्त हो गयी हैं । निगम द्वारा इन क्षेत्रों में फर्शी पत्थर के उत्खनन एवं विक्रय हेतु निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पार्टीस् का चयन कर लिया है, जिसके फलस्वरूप इन पांचों उत्खनि पट्टा क्षेत्रों में 76,000 घनमीटर फर्शी पत्थर का वार्षिक उत्पादन होगा । जिससे शासन को प्रतिवर्ष 1.82 करोड़ रायल्टी प्राप्त होना संभावित है ।

(4) संयुक्त क्षेत्र उपक्रम अंतर्गत् कार्यशील परियोजनायें एवं प्रस्तावित योजनायें:–

(1) ग्रेनाइट –

निगम के संयुक्त क्षेत्र उपक्रम मेसर्स फारचून स्टोन्स लि0 तथा मे0 किसान मिनरल प्रा0 लि0 द्वारा जिला–छतरपुर अर्न्तगत् क्रमशः ग्राम कटहरा, हरद्वार, गढ़ीमलहरा एवं

मड़वा, रतनपारा में खनिज ग्रेनाइट के उत्खनन एवं विक्रय का कार्य किया जाता है तथा स्थानीय विकास निधि मद में भी राशि उपलब्ध कराई जाती है ।

(2) बाक्साइट :-

निगम के संयुक्त क्षेत्र उपक्रम कटनी बाक्साइट प्रा0 लि0 द्वारा निगम को स्वीकृत जिला सतना के ग्राम मड़वाझर, तामर, टीकर एवं जिला-रीवा, ग्राम चचानडीह, जिला अनुपपुर के बाक्साइट क्षेत्रों में खनिज बाक्साइट का खनन स्वतः उपयोग हेतु एवं अन्य क्षेत्रों को विक्रय का कार्य किया जाता है तथा निगम को निर्धारित कमीशन राशि रूपये 82/- तथा रूपये 48/- प्रतिटन का भुगतान किया जाता है ।

(3) कोयला :-

भारत सरकार, कोल मंत्रालय द्वारा म0प्र0 राज्य खनिज निगम को Govt. Company Dispensation Route के तहत् 10 कोल ब्लॉक्स आवंटित किये गये थे, जिनका विवरण निम्नानुसार है। इनमें से क्रमांक 10 को छोड़कर, शेष 9 (नौ) कोल ब्लॉक्स (क्रमांक 1 से 9) से कोल के खनन, विकास एवं विक्रय हेतु निगम द्वारा निविदा/EOI के माध्यम से, निजी क्षेत्र की कंपनियों से ऑफर आमंत्रित कर संयुक्त क्षेत्र पार्टनर का चयन किया एवं तदुपरांत उनके साथ अनुबंध कर संयुक्त क्षेत्र उपक्रम गठित किये गये :-

क्रं0	आवंटित कोल ब्लॉक का नाम	चयनित संयुक्त क्षेत्र भागीदार का नाम	गठित संयुक्त क्षेत्र कंपनी का नाम
1	अमेलिया जिला-सिंगरौली	मे0 सैनिक माइनिंग एण्ड एलाइड सर्विसेस लि0	एम पी सैनिक कोल माइनिंग प्रा0 लि0
2	अमलिया (नार्थ), जिला-सिंगरौली	मे0 जयप्रकाश एसोसिएट्स लि0	एम पी जेपी मिनरल्स लि0
3	डोंगरी ताल- II, जिला - सीधी	मे0 जयप्रकाश एसोसिएट्स लि0	एम पी जेपी कोल लि0
4	मण्डला साउथ, जिला-छिंदवाड़ा	मे0 जयप्रकाश एसोसिएट्स लि0	एम पी जेपी कोल फील्ड्स लि0
5	सेमरिया-पिपरिया, जिला - उमरिया,	मे0 एसीसी मिनरल रिसोर्सेस लि0	एम पी ए एम आर एल (सेमरिया) कोल कं0 लि0
6	मरकी-बरका, जिला - सिंगरौली	मे0 एसीसी मिनरल रिसोर्सेस लि0	एम पी ए एम आर एल (मरकी बरका) कोल कं0 लि0
7	बिचारपुर, जिला - शहडोल	मे0 एसीसी मिनरल रिसोर्सेस लि0	एम पी ए एम आर एल (बिचारपुर) कोल कं0 लि0
8	मोरगा-IV, छत्तीसगढ़	मे0 एसीसी मिनरल रिसोर्सेस लि0	एम पी ए एम आर एल (मोरगा) कोल कं0 लि0
9	मोरगा-III, छत्तीसगढ	मे0 मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लि0	एम पी मोनेट माइनिंग कं0 लि0
10	मोरगा-I, छत्तीसगढ	-	-----

2– इन संयुक्त क्षेत्र कंपनियों में मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम (MPSMCL) की Sweat Equity 51% एवं संयुक्त क्षेत्र के भागीदार (JVP) की Equity 49% रखी गई है। उक्त के फलस्वरूप ये संयुक्त क्षेत्र कंपनियाँ MPSMCL की सब्सिडियरी कंपनियाँ है एवं कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 617 के तहत् '**शासकीय कंपनी**' भी है। संयुक्त क्षेत्र भागीदार के साथ निष्पादित अनुबंध के अनुसार ये भागीदार, इन संयुक्त क्षेत्र कंपनियों में Mine Developer cum Operator (MDO) के रूप में भी कार्यरत रहेंगे।

3– निगम को अमेलिया, अमेलिया नार्थ एवं डोंगरी ताल–।। कोल ब्लॉक्स पावर प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किये गये हैं। अमेलिया कोल ब्लॉक से उत्पादित होने वाले कोयले में से 'ई' एवं 'एफ' ग्रेड का 60% कोयला NCL की नोटिफाइड प्राइज से 20% डिस्काउंट दर पर म0प्र0 पावर जनरेटिंग कं0 लि0 को दिया जाएगा एवं शेष 40% कोयला डी0बी0 पावर व एस्सार पावर को दिया जाएगा। अमेलिया नार्थ एवं डोंगरी ताल–।। कोल ब्लॉक मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स द्वारा पावर प्लांट स्थापित किए जाने पर कोल प्रदाय किया जावेगा।

4– निगम को डोंगरी ताल–।। कोल ब्लॉक से 49 करोड़, अमेलिया नार्थ कोल ब्लॉक से 82 करोड़ एवं अमेलिया कोल ब्लॉक से 18 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष फेसिलिटेशन फीस के रूप में प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त अमेलिया कोल ब्लॉक से म0प्र0 पावर जनरेटिंग कं0 लि0 को रियायती दर पर कोयला प्रदाय किए जाने पर प्रतिवर्ष 81 करोड़ रूपये की बचत होगी। अन्य 6 कोल ब्लॉक्स से फेसिलिटेशन फीस के रूप में लगभग 1897/–रू. प्रतिटन की दर से राशि प्राप्त होना है जो आगामी 25 वर्षों में लगभग 886 करोड़ रूपये होगी।

(5) अमला :–

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 30–11–2012 की स्थिति :–

प्रथम श्रेणी	–	06
द्वितीय श्रेणी	–	15
तृतीय श्रेणी	–	268
चतुर्थ श्रेणी	–	77
कुल	**–**	**366**

(6) वार्षिक टर्न ओवर एवं लाभ–हानि

(लाख रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	टर्न ओवर	लाभ (कर पूर्व)
1–	2010–2011	9550.41	3297.13
2–	2011–2012	14105.03	4576.91
3–	2012–2013(प्रावधिक) (सितम्बर 2012 तक)	10529.27	3237.44
4–	बजटीय लक्ष्य 2012–13	14186.95	5508.07

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम प्रदेश में मुख्य खनिजों एवं गौण खनिजों का दोहन/विपणन कार्य कर रहा है । मुख्य खनिजों में रॉकफास्फेट, डायस्पोर, पायरोफिलाईट, बाक्साइट, डोलोमाइट खनिज तथा गौण खनिज में रेत फर्शी पत्थर एवं मार्बल एवं ग्रेनाइट में कार्यरत है ।

मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा वर्ष 2003-2004 से उसकी रेत खदानों हेतु शासन को रायल्टी के समतुल्य अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जा रही है । इस मद में वर्ष 2011-12 के लिये निगम द्वारा रूपये 42.06 करोड़ की अतिरिक्त राशि शासन को भुगतान की गई है। इस प्रकार निगम शासन को रेत पर रूपये 106/- प्रति घन मीटर उपलब्ध कराता है। वही निजी पट्टेदार केवल रूपये 53/- प्रति घनमीटर ही भुगतान करते है। निगम रेत पर वाणिज्य कर का भुगतान भी करता है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा राज्य शासन को मुख्य खनिजों पर रायल्टी एवं खनिज ग्रेनाइट पर स्थानीय विकास राशि का भुगतान भी किया जाता है ।

(7) निगम के उप कार्यालय :-

निगम के निम्नानुसार उप कार्यालय है, जहां खनिजों का उत्पादन एवं विक्रय किया जाता है, उप कार्यालय में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 (सितम्बर 2012 तक) के विक्रय एवं विक्रय राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र0	उप कार्यालय का नाम	खनिज का नाम	वर्ष 2011-12 विक्रय		वर्ष 2012-13 (सित0 12 तक) विक्रय	
			मात्रा **(टन मे)**	राशि **(लाख मे)**	मात्रा **(टन मे)**	राशि **(लाख मे)**
(अ) मुख्य खनिज						
1.	मेघनगर	रॉकफास्फेट	118745	1037.31	89815	939.87
2.	सागर	रॉकफास्फेट	117766	679.86	101109	789.94
3.	सतना	बाक्साइट	183608	113.38	94252	52.69
(ब) गौण खनिज			मात्रा **(धन0मी0)**	राशि **(लाख मे)**	मात्रा **(धन0मी0)**	राशि **(लाख मे)**
1.	शिवपुरी	फर्शीपत्थर	17801	255.36	12805	207.06
2.	होशंगाबाद	रेत	3091587	4637.38	1440642	2813.41
3.	जबलपुर	रेत	592524	888.79	440603	660.90
4.	कटनी	रेत	604776	883.69	381352	572.03
5.	हरदा	रेत	613775	859.28	365556	513.54
6.	धामनोद	रेत	669258	999.71	595000	893.99
7.	ग्वालियर	रेत	2091826	3151.39	1708498	2608.97
8.	टीकमगढ़	रेत	491667	705.97	317904	476.86

(8) राज्य खनिज निगम के अंकेक्षण की स्थिति :-

राज्य खनिज निगम के लेखों का अंकेक्षण कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा नियुक्त चार्टड एकाउटेंट्स एवं उनके स्वयं के द्वारा किया जाता है । निगम के वर्ष 2010-2011 तक के लेखों का वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखा जा चुका है एवं वर्ष 2011-2012 के लेखो पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक कार्यालय से अंतिम टिप्पणीयॉं प्राप्त हो गयी है , लेखो पर ''शून्य'' अंतिम टिप्पणीयॉं प्राप्त होने से लेखों की गुणवत्ता भी स्वप्रमाणित है ।

भाग–आठ

8.1 (सारांश)

राष्ट्र की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक प्रगति में खनिजों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्र के हृदय स्थल में बसा मध्यप्रदेश खनिज सम्पदा से परिपूर्ण है। प्रकृति प्रदत्त खनिजों के अन्वेषण, दोहन एवं विकास हेतु खनिज साधन विभाग सतत प्रयत्नशील है। इस विभाग के अतंर्गत संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, का मुख्यालय भोपाल में कार्यरत है। विभागीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चार क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से खनिज सर्वेक्षणों को नई दिशा दी जा रही है। खनिज प्रशासन का कार्य प्रदेश के 50 जिला कार्यालयों तथा हीरा कार्यालय पन्ना में पदस्थ खनिज अमले व्दारा सम्पादित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2011–2012 में मध्यप्रदेश मे 10000 (पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस को छोड़कर) करोड़ रूपये मूल्य के मुख्य एवं गौण खनिजों का उत्पादन हुआ जिसके फलस्वरूप 3115.93 करोड़ रूपये का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2012–2013 में 10400 करोड़ रूपये मूल्य का खनिज उत्पादन होने की संभावना है।

<u>परिशिष्ट – क</u>

1 जनवरी 2013 की स्थिति में मध्यप्रदेश में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत					कुल कार्यरत
		मुख्य कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	हीरा कार्यालय	जिला कार्यालय	अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर	
राजपत्रित							
प्रथम श्रेणी	43	13	8	1	7	1	30
द्वितीय श्रेणी	112	15	20	0	43	–	78
अराजपत्रित							
तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	307	11	37	2	116	–	166
लिपिक वर्गीय	163	25	18	3	76	–	122
चतुर्थ श्रेणी	167	18	22	18	73	–	131
नैमेत्तिक	49	12	18	1	12	–	43
योगः–	**841**	**94**	**123**	**25**	**327**	**1**	**570**

परिशिष्ट ''ख'' एक

वर्ष 2007-2008 से 2011-2012 के लिये भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धि विवरण :-

क्र.	वर्ष	सर्वेक्षण/मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर)		पिटिंग/ट्रेंचिंग (घन मीटर)		ड्रिलिंग (मीटर)		नमूना विश्लेषण (मूलक)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि
1.	2007-08	12000	12197.56	60	36.5	5000	5951.55	8029
2.	2008-09	12000	8923.62	60	32.50	5000	5099.40	6905
3.	2009-10	12000	10133.88	60	32.50	5000	5136.25	4049
4.	2010-11	12000	13008.93	60	20.00	5000	5562.45	4154
5.	2011-12	12000	12743	आवश्यकतानुसार	24.00	5000	5026.85	5444

परिशिष्ट ''ख'' दो

सर्वेक्षण सत्र 2011-12 में मध्यप्रदेश में डोलोमाइट के **14.04** मिलियन टन तथा चूना पत्थर के 25 मिलियन टन एवं लेटेराइट के 20.10 मि.टन भण्डार अनुमानित किये गये हैं। कोल इंडिया लिमिटेड हेतु अनुबंध के आधार पर विभाग द्वारा कोयला पूर्वेक्षण का कार्य संपादित किया जा रहा है।

वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 तक निम्नानुसार उपलब्धियाँ दर्ज की गईः-

क्र.	वर्ष	खनिज का नाम	जिला	भण्डारों का आकलन (अनुमानित भण्डार)
1.	2007-08	डोलोमाइट	देवास	84 मि.टन
2.	2008-09	डोलोमाइट लेटेराइट व आयरन ओर	देवास, मंदसौर	40.15 मि.टन 70.52 मि.टन
3.	2009-10	डोलोमाइठ लाइमस्टोन लेटेराइट व आयरन ओर	छतरपुर सतना नीमच/मंदसौर	08.39 मि. टन 45.00 मि. टन 01.06 मि. टन
4.	2010.11	डोलोमाइठ लाइमस्टोन लेटेराइट	छतरपुर सतना नीमच/मंदसौर	12.73 मि. टन 25.00 मि. टन 35.00 मि. टन
5.	2011-12	डोलोमाइट लाइमस्टोन लेटेराइट	छतरपुर सतना नीमच/मंदसौर	14.04 मि. टन 25.00 मि. टन 20.10 मि. टन

नोट :- उपरोक्त विभिन्न खनिजों के भण्डार समय-समय पर किये गये द्रुतगामी भौमिकी सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आकड़ों के आधार पर अथवा विभाग द्वारा किये गये प्रारंभिक पूर्वेक्षण (वेधन) के दौरान अंतरिम गणना के आधार पर अनुमानित किये जाकर दर्शाये गये है।

परिशिष्ट –''ग''

मध्यप्रदेश के 50 जिलों में 3 वर्षो का खनिजवार उत्पादन एवं राजस्व प्राप्ति का विवरण

क्र.	खनिज	उत्पादन (लाख टन में)			राजस्व प्राप्ति (करोड़ रूपयों में)		
		2009–10	2010–11	2011–12	2009–10	2010–11	2011–12
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोयला	740.74	722.77	716.58	1025.11	868.87	1019.16
2	चूना पत्थर	285.43	303.47	326.58	254.54	240.96	275.19
3	ताम्र अयस्क	19.32	22.46	20.82	22.52	32.03	36.97
4	मैग्नीज अयस्क	6.11	7.22	6.48	17.03	23.30	22.92
5	हीरा (कैरेट में)	16810	19774	18489	0.54	2.78	1.13
6	डोलोमाइट	1.98	2.43	3.61	2.47	3.52	3.27
7	बॉक्साइट	10.24	5.85	6.17	17.46	9.86	12.16
8	रॉक– फास्फेट	1.81	1.33	2.44	0.88	0.52	1.42
9	डायस्पोर/ पायरोफिलाइट	2.23	3.26	2.21	1.56	1.15	1.24
10	फायरक्ले	0.34	0.36	0.64	0.25	0.22	0.28
11	लेटेराइट	0.93	0.72	1.66	1.05	1.46	2.92
12	आयरनओर	10.78	17.45	11.02	2.12	8.56	9.58
13	शैल	6.37	5.98	5.43	0.04	0.04	0.09
14	केओलीन	0.17	0.06	0.07	0.12	0.04	0
15	गेरू	0.34	0.29	0.35	0.20	0.16	0.05
16	क्ले (अन्य)	2.35	3.23	4.22	0.09	0.09	0.02
17	ग्रामीण अवसरंचना	0	0	0	29.07	606.00	1378.78
18	अन्य मुख्य खनिज	0.53	0.02	0.02	2.01	13.49	8.53
योग मुख्य खनिज		**1089.67**	**1098.90**	**1106.21**	**1377.06**	**1812.95**	**2773.71**
योग गौण खनिज 0853		808.86	630.69	1135.18	213.40	308.54	342.22
कुल योग शीर्ष 0853		**1898.53**	**1729.59**	**2241.39**	**1590.46**	**2121.49**	**3115.93**

नोट : महायोग में हीरा का उत्पादन शामिल नहीं है।

<u>**ई–मेल तथा वेबसाईट की जानकारी**</u>

1. संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश

E-Mail - dirgeomn@mp.nic.in

Website - www.geologyandmining.mp.gov.in

2. मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम मर्यादित

E-Mail - mpsmcl_bpl@sancharnet.in

Website - www.mpmining.org